

# कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

पत्र संख्या-354/ई०सी०-1/एन०डी०/2024

दिनांक 27/12/2024

### - सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इंटरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अभ्यर्थियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-182/एन०डी०/2024 दिनांक 29-06-2024 के संदर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/द्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०आई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इंटरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के परघात माह के शुक्रवार दिनांक 27-12-2024 को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे को गन्ध उपस्थित हों। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेन्सी एवं आचार्य हेतु एम०आई०टी०/बी०सी०पी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियाँ का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट [www.gsvmedicalcollege.com](http://www.gsvmedicalcollege.com) पर उपलब्ध हैं। पदों की सख्या घट बढ़ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपैडिक्स	1	द्रामा	(4)	1	ओ०बी०सी० अनारक्षित	(57) (58)	1	एस०सी०	(83)
2	आयुर्वेदशास्त्रज्ञ	0	0	0	1	एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(59) (60)	0	0	0
3	आन्तर्दृष्टिक एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(65)	0	0	0
4	इन्फेक्शियस डिसेज एण्ड क्वड ट्रांसप्यून मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेंसी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	अनारक्षित ओ०बी०सी०	(66) (67)	1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी०	(110) (111) (112)
6	एन्डोकार्डियोलॉजी (कैएमएसएनआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(58)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित अनारक्षित ओ०बी०सी०	(39) (40) (51) (78) (86) (87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित अनारक्षित अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित	(8) (38) (68) (69) (70) (71) (72)	1 1 1 1 1 1 1	1 द्रामा (न्यूरो सर्जरी) एस०सी० एस०सी० ओ०बी०सी०	(10) (14) (15) (115) (119)
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (कैएमएसएनआई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस०	(19) (81) (121) (122) (159) (160)
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (कैएमएसएनआई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	1	0	0
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० एस०सी०	(75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (104) (105) (31)	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ई०डब्ल्यू०एस० एस०टी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी०	(20) (47) (53) (54) (55) (83) (84) (123) (124) (125) (126) (127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1 1 1 1	ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(85) (86) (87) (88) (89)	1 1 1 1	1 द्रामा ओ०बी०सी० एस०सी० ई०डब्ल्यू०एस० ओ०बी०सी० ई०डब्ल्यू०एस० एस०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित ओ०बी०सी० अनारक्षित एस०सी०	(21) (24) (85) (99) (100) (129) (130) (131) (132) (165) (166) (167) (168) (169)
15	द्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरटरी मेडिसिन	0	0	0	1 1 1	अनारक्षित ई०डब्ल्यू०एस० अनारक्षित	(54) (90) (106)	1	अनारक्षित	(134)
16	डरमिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(85)	1 1	ओ०बी०सी० ओ०बी०सी०	(81) (107)	0 0	0	0
17	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(27)
18	न्यूरोसर्जरी	1	ओ०बी०सी०	(43)	0	0	0	0	0	0
19	न्यूरो रेडियोलॉजी (कैएमएसएनआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

20	नेफोलॉजी, (मेडिसिन) नेफोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	1	ओपीडीसी	(27)	0	0	0	0	0	0
21	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एसपीसी अनारक्षित ओपीडीसी	(93) (94) (95)	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0
22	पेन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एसपीसी	(45)	1	एसपीसी	(47)	1	1	0
23	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	फार्माकालॉजी	1	एसपीसी	(49)	1	एसपीसी अनारक्षित	(25) (34)	1	1	0
25	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	0	0	0
26	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	0
27	फोरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	1	0
28	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीडीसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	1	0
29	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	1	0
30	यूरोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	रेडियोलॉजिस्ट	1	ओपीडीसी	(37)	1	ईओडब्ल्यूएस अनारक्षित एसपीसी ईओडब्ल्यूएस एसपीसी अनारक्षित	(30) (98) (99) (100) (101) (102)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32	साइकियट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीडीसी	(103)	0	0	0
		17			55					

- उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्त निम्नवत है-
- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹-2,20,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन ₹-1,80,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹-75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
  - शासनानुसार संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
  - शासनानुसार सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सहायक आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
  - चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
  - चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
  - ओपीडीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
  - कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
  - प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
  - उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुभूत्य नहीं होंगे।
  - संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवार्थ लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से घयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
  - ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से घयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
  - चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
  - संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
  - संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्त ऐसी होगी जैसे कृत्तर या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या कृत्तर में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुभूत्य होगी।
  - अभ्यर्थियों से सामाजिक कल्याण के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
  - उ०प्र० शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ०प्र० सखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-III दिनांक 18-02-2019 के अनर्गत ईओडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल मार्गिक आय ₹ 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिमन अधिकारी द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नोट पर देखा जा सकता है।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एनओएमसीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुभव होगी।
  - सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
  - जो अभ्यर्थी एमओडी/एमएसओ के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं- 359/तद्दिनांक  
प्रतिनिधि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।  
2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।  
3- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य  
मेडिकल कालेज, कानपुर